



"प्ररूप 26"
(नियम 4क देखिए)



765
12/04/2014

21, ई.पी.यू.रा.

MAJIPUR (VAISHALI)

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) लोकसभा (सदन का नाम) के लिए
निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं निर्वाचनीय राजा श्री राजीव गांधी पुत्र/मुत्री/मली श्री राजीव गांधी

आयु 38 वर्ष, जो प्रान्तीका-4, पान्धोरी रोड
लो. नं 167992, कैल्कुला

पुरा - 800020 (बिहार) (डाक का
पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता

हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

(1) मैं भाजपा की भाजपा पार्टी (राजीव) (**राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा
किया गया अभ्यर्थी / **सक्त स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा है।

(*जो लागू न हो उसे काट दे)

(2) मेरा नाम पर्वता लोकसभा शोप (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं
172 के क्रम सं 579 पर प्रविष्ट है।

(मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 9304539313 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) _____
है।



(4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्राप्ति :

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1.	स्वयं	AKTPR6760K	2013-14	222316
2.	पति या पत्नी	८६	८६	८६
3.	आश्रित-1	८६	८६	८६
4.	आश्रित-2	८६	८६	८६
5.	आश्रित-3	८६	८६	८६

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी :-

(i) निम्नालिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं।

(क)	मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना / जिला / राज्य के पूर्ण ब्यौरे	३१२ ८६
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	३१२ ८६
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और सज्ञान लेने के आदेश की तारीख	३१२ ८६
	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोपित (अपराधों) की विरचना की गई	३१२ ८६



(इ.)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	माझे १६)
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई हैं / हैं	माझे १६)

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित हैं / हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है पूर्वोक्त १६)

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न]:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	माझे १६)
(ख)	उन मामलों के ब्यारे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	माझे १६)
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों) / आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यारे	माझे १६)

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है / नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है / नहीं दिया गया है : १६)

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा: १६)

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है १६)

(क)	उन मामलों के ब्यारे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	माझे १६)
	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश की तारीख (तारीखें)	माझे १६)



(ग)	अधिरोपित दंड	३१२२ ७६
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	३१२४ ७६

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ।

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 – जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं। **नहीं**

टिप्पण 3 – सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 – यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है। **नहीं**

टिप्पण 5 – रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(i)	हाथ में नकदी	15,000/-	७६	७६	७६	७६
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी है), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बधपत्रों, डिक्रेटों/ शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और	40,000/-	७६	७६	७६	
(iii)		७६	७६	७६	७६	७६



(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	2,50,000₹	50,000₹	✓	✓	✓
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	✓	✓	✓	✓	✓
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	Tvs नोटर पाइल BR-01AV 7061 10.03.2010	✓	✓	✓	✓
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	✓	2 लाख 60,000 रुपये	✓	✓	✓
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	✓	✓	✓	✓	✓
(ix)	समग्र कुल मूल्य	3,20,000₹	1,10,000₹	✓	✓	✓

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1— संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2— प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ) क्षेत्र (एकड़ में कुल माप) क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	✓	✓	✓	✓	✓
	संपर्जित संपत्ति की दशा में क्या की तारीख	✓	✓	✓	✓	✓
	क्या के समय भूमि की लागत (क्या की दशा में)	✓	✓	✓	✓	✓



	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	पही	पही	जही	जही	जही	जही
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	जही	जही	जही	जही	जही	जही
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	पही	पही	जही	जही	जही	जही
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	पही	पही	जही	जही	जही	जही
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	पही	पही	पही	पही	पही	पही
	स्वर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	जही	जही	जही	जही	जही	जही
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	पही	पही	जही	जही	जही	पही
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	पही	पही	जही	जही	पही	पही
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	जही	पही	जही	जही	जही	जही
(iii)	वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	पही	पही	जही	जही	पही	पही
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	पही	पही	पही	पही	पही	पही
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	पही	पही	पही	पही	पही	पही
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	पही	पही	पही	पही	पही	पही
	स्वर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	पही	पही	पही	पही	पही	पही
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	पही	पही	पही	पही	पही	पही
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	पही	पही	जही	जही	पही	पही
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	पही	पही	जही	जही	पही	पही
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	पही	पही	जही	जही	पही	पही
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	पही	पही	पही	पही	पही	पही



	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	१०००	१०००	१०००	१०००	१०००	१०००
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	१०००	१०००	१०००	१०००	१०००	१०००
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	१०००	१०००	१०००	१०००	१०००	१०००
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	१०००	१०००	१०००	१०००	१०००	१०००
	विकास, संनिमार्ण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	१०००	१०००	१०००	१०००	१०००	१०००
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	१०००	१०००	१०००	१०००	१०००	१०००
(V)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	१०००	१०००	१०००	१०००	१०००	१०००
(VI)	पूर्वोक्त (I) से (V) का कुल चालू बाजार मूल्य	१०००	१०००	१०००	१०००	१०००	१०००

(8) में, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ:-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति कोई अन्य दायित्व दायित्ववालों का कुल योग	१०००	१०००	१०००	१०००	१०००
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास जल आपूर्ति से बरतने वाले विभागों को शोध्य	१०००	१०००	१०००	१०००	१०००



विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	मही	मही	मही	मही	मही
टेलीफोन / मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	मही	मही	मही	मही	मही
सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	मही	मही	मही	मही	मही
आय-कर शोध्य	₹ 2 कर	उपतस्थि			
धनकर शोध्य	मही	मही	मही	मही	मही
सेवाकर शोध्य	मही	मही	मही	मही	मही
नगरपालिका / संपत्ति कर शोध्य	मही	मही	मही	मही	मही
विक्रयकर शोध्य	मुद्रा	प्रत्येक	मही	मही	मही
कोई अन्य शोध्य	मही	मही	मही	मही	मही
(iii) सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	मही	मही	मही	मही	मही
(iv) क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	मही	मही	मही	मही	मही

(9) वृति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं मुख्यमन्त्री

(ख) पति या पत्नी मही

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :-

कानून (प्राचीन, एवं नवीन), १९९३

प्राचीन एवं नवीन, प्राचीन, मठाम विश्वविद्यालय, बिहार, बिहार

(प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)




भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये व्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुप विजयनाथ राणा			
2	डाक का पता	गृहीनो-४, आनन्दनारी इंडिया पोस्ट ऑफिस बुलडोग फॉर्म्यूला			
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	३०, अरनां तारीब, बिहार			
4	उस राजनीतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	आजगांवी जनता पार्टी (टॉट्टी)			
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं। (ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से मिल्न)	(१६) (१८)			
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमत्र 1951 की धारा ४ की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	(१६)			
7		आपके का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय	
	(क) अभ्यर्थी	AKTPR 6760 K	2013 - 14	222316	
	(ख) पति या पत्नी	१६	१६	१६	
	(ग) आश्रित	१६	१६	१६	
8	आस्तियों और दायित्वों के व्यौरे (रूपये में)				
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2
	के लिए आस्तियां (कल मूल्य)	3,20,000₹	1,10,000₹	१६	१६
				१६	१६



ख	स्थावर आस्तियां	गहीं	भृदीं	भयीं	भहीं	पलीं
I.	स्वअर्जित स्थावर संपति की क्रय कीमत	५००	५००	५००	५००	५००
II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	५००	५००	५००	५००	५००
III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	५००	५००	५००	५००	५००
(क)	स्वअर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	५००	५००	५००	५००	५००
(ख)	विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	५००	५००	५००	५००	५००
9	दायित्व	५००	५००	५००	५००	५००
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	५००	५००	५००	५००	५००
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	५००	५००	५००	५००	५००
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं	५००	५००	५००	५००	५००
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	५००	५००	५००	५००	५००
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	५००	५००	५००	५००	५००



11	<p>उच्चतम शैक्षिक अर्हता :</p> <p><u>टोनक (Hemang, 6वीं वर्षालय)</u>, वर्ष - 1993 <u>क्रान्तिकारी महाविद्यालय, पटना, १९८५</u> (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यारे दें।)</p>
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग के और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामलों से मिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 12/04/14 को सत्यापित किया गया।

विधान-चंद्र शर्मा
यापित किया गया।


I know & I deny by the
defence upto now based on my knowledge
of the case or Sharmaji

टिप्पणी 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पणी 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पणी 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित “शून्य” या “लागू नहीं होता” उल्लिखित किया जाना

शपथपत्र टॅकित या सुपाड्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।



**NOTARY PUBLIC
RAJIPUB (VAISHALI)**

टिप्पण - 5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामाले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्याएँ हैं/हैं..... १३०५५३९३१३

मेरा ई-मेल आईडी० (अगर कोई हो) है..... १६।

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है..... १६।

टिप्पण-7 शपथ पत्र के पारा 8 में वित्तीय संस्थानों के प्रति दायित्वों में विदेशी बैंकों/संस्थाओं में जमा/निवेश सहित सूचना दें।

